Issuance of Out of Turn Priorities

711. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has authorised certain persons other than sitting Members of Parliament to issue out of turn telephone priorities ;

(b) if so, what are the particulars of persons and the number of priorities given to each together with the reasons therefor ; and

(c) whether there is any proposal under Government's consideration to increase the out of turn priority quota of the Members of Parliament ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) With effect from 1-1-92 the powers for sanction of telephone connections on the recommendations of Members of Parliament from their annual quota have been delegated to the Chief General Managers of the respective States to which the M.Ps. belong.

(b) The Chief General Managers have been authorised to sanction 15 telephone connections (10 in the State/Constituency and 5 outside the State/Constituency) in a year for each M.P. These powers have been delegated with a view to minimise delay in sanctioning and installation of telephone connections.

(c) No such proposal is under consideration.

रेल डाक सेवा के अंतर्गत चलने वाली रेलगाड़ियों में डाक की छंटाई के कार्य को बन्द किया जाना

712. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डाक विभाग द्वारा रेल डाक सेवा के अंतर्गत चलती रेलगाड़ियों में छंटाई का कार्य बंद कर दिये जाने से पहले तीन में वितरित हो जाने वाला पत्र अब लगभग दस दिन में वितरित होता है;

(ख) यदि हां, तो चलती रेलगाड़ियों में डाक-छंटाई का कार्य बंद करने की सरकारी मजबूरी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस सेवा को उसी स्तर पर बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) किसी भी साधारण पत्र के देश के किसी भी कोने में वितरित होने का अधिकतम निर्धारित समय कितना है; और दिल्ली से प्रेषित किया गया पत्र लखनऊ में वितरण तक कितना समय लेता है; और

(ङ) क्या डाक सेवा को "आवश्यक सेवा" मानकर ऐसी व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें साधारण पत्र देश के किसी भी मांग में पहले की भांति तीन दिन में वितरित हो सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) यह सच नहीं है कि चलती रेलगाड़ियों में डाक की छंटाई बंद कर देने से पहले जो पत्र तीन दिन में वितरित कर दिया जाता था अब उसमें दस दिन लगते हैं ।

(ख) चलती रेलगाड़ियों में निम्नलिखित कारणों से डाक की छंटाई बंद देने के लिए विभाग को बाध्य होना पड़ा :–

(i) रेलवे विभाग द्वारा रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना ।

(ii) रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर गाड़ी के रुकने के समय में कमी करना ।

(iii) डाक की मात्रा में भारी वृद्धि

(iv) रेल गाड़ियों में डाक विभाग द्वारा अपेक्षित स्थान का रेलवे विभाग द्वार प्रबंध न करना ।